राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.35(1)गृह–9/2006 पार्ट जयपुर, दिनांक : 29 NOV 2018

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 2783
दिनांक 20/12/18

–:: अधिसूचना ::–

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत–पाक सीमा पर पी.सी.ओ./ई–मेल/इन्टरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कॉल्स/संदेश का प्रयोग कर आपराधिक कृत्यों एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते है, जिससे जन सुरक्षा एवं शाति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है।

राज्य सरकार को यह संतोष हो गया है कि भारत पाक पर पी.सी.ओ./ई–मेल/इन्टरनेट के माध्यम से अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक समसंख्यक/2018/10710–10849 दिनांक 30.10.2018 की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक समसंख्यक/2018/10710–10849 दिनांक 30.10.2018 की अवधि एतद्द्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

AS 13/12/2018

(सुबेसिंह यादव)
विशिष्ठ शासन सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

13/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को उनके पत्र क्रमांक समसंख्यक/2018/10710–10849 दिनांक 30.10.2018 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, सीमा क्षेत्र, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, सेक्टर मुख्यालय, जैसलमेर ।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को दिनांक 29 NOV 2018 के आसाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
7. उप शासन सचिव गृह ग्रुप–6 विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(सुबेसिंह यादव)
विशिष्ठ शासन सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग